न्यायालयः अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–3, जयपुर, जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी	:	**रेणु कुमार मीणा, आर.जे.एस.**
आपराधिक प्रकरण संख्या	:	232/2022(463/2017)
एन.सी.वी. नम्बर	:	3438/2019
सीएनआर नम्बर	:	RJJD020041772019

राजस्थान राज्य

बनाम

महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र शिवदयाल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–प्लाट नं0–03, शिवविहार–बी, मीणावाला, थाना–करणीविहार, जयपुर।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279 ,304a भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एमवीएक्ट
(05 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण)

उपस्थितिः–

01. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते– राजस्थान राज्य।
02. श्री अशोक शर्मा, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 13 जनवरी, 2023

01. हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (पश्चिम) की ओर से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त महेन्द्र सिंह के विरूद्ध आरोप–पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एमवीएक्ट में दिनांक 11.04.2017 को न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–31 जयपुर महानगर (राज0) में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर जयपुर के आदेश क्रमांक 1660 दिनांक 05.05.2018 के द्वारा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–17 जयपुर महानगर (राज0) में अन्तरित किया गया। कालातंर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक GEN/TRC/58/2019 दिनांक 20.06.2019 की अनुपालना में पत्रावली न्यायिक

मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर में एवं तत्पश्चात माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर के आदेश क्रमांक 577/स्था0 दिनांक 08.12.2021 की अनुपालना में प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में दिनांक 05.03.2022 को अंतरित होकर प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी गिरधारी लाल द्वारा दिनांक 20.03.2017 को एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 प्रभारी अधिकारी, सडक दुर्घटना अनुसंधान इकाई(पश्चिम) यातायात जयपुर में इस आशय की पेश की, कि उसका बडा भाई बनवारीलाल बैरवा जो कल दिनांक 19.03.2017 को बैनाड रोड पर बालाजी कॉलेज के पास से काम करके अपनी मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे.45 एसए 5635 से घर ग्रीन विहार आ रहा था। रात्रि रात्रि के समय करीब आठ बजे जब उसका भाई ज्वाला माता मंदिर के पास पहुंचा तो उसी समय पीछे से आ रही एक कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 को उसका चालक तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकेभाई की मोटरसाईकिल केटक्कर मार दी जिससे उसका भाई मोटरसाईकिल सहित सडक पर गिर गया जिससे उसके भाई के छाती व पैर मं गम्भीर चोटें आयी व शरीर पर जगह–जगह चोटें आई जिसका पास ही प्राईवेट अस्पताल में दवाई दिलवायी व रात्रि को ज्यादा तबीयत खराब होरे पर आज दिनांक20.03.2017 को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया जहां दौराने इलाज उसके भाई की मृत्यु हो गई। अतः कार चालक के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे..... इत्यादि।

03. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मुरलीपुरा द्वारा मुकदमा नम्बर 133/2017 अन्तर्गत धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त महेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एम.वी.एक्ट में आरोप सम्बंधित न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. अभियुक्त के उपस्थित आने पर दिनांक 26.10.2017 को धारा 279, 304ए

भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एम.वी.एक्ट के आरोप की विशिष्टियां (आरोप सारांश) मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू.–01 अमरसिंह,पी.डब्ल्यू–02 प्रेमचन्द,पी.डब्ल्यू–03 गिरधारीलाल, पी.डब्ल्यू–04 राजवीर सिंह को पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–01 पुलिस बयान अमरसिंह, प्रदर्श पी–02 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–03 पंचनामा, प्रदर्श पी–04 पुलिस बयान प्रेमचन्द, प्रदर्श पी–05 पुसि बयान गिरधारीलाल, प्रदर्श पी–6 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–7 फर्द निरीक्षण मोटरसाइकिल, प्रदर्श पी–8 पुलिस बयान 161 द.प्र.सं. राजवीर सिंह को प्रदर्शित करवाया गया।

06. अभियुक्त के दिनांक 13.01.2023 को उपस्थित आने पर अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत बयान मुलजिम लिए गए जिसमें उसने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताकर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा और अपने कथनों में कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे गलत फंसाया गया है।

07. बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है किः–

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.03.2017 को समय रात्रि के लगभग 8.00 बजे ज्वाला माता मंदिर के पास कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 पर चालक रहते हुए उक्त वाहन को लोकमार्ग पर गफलत, लापरवाही पूर्वक, तेजगति से चलाते हुए परिवादी के भाई बनवारी की मोटरसाईकिल नम्बर आरजे 45 एसए 5635 को टक्कर मारकर, कार को भगाकर ले गये तथा परिवादी के भाई बनवारी के जीवन को संकटापित किया एवं दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम स्वरूप परिवादी के भाई बनवारी की मृत्यु हो गई ?

02. यदि हां तो अभियुक्त को दंड की समुचित मात्रा क्या होगी ?

08. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किए है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन साक्षीगण

के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त को प्रकरण में संलिप्त करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा यह भी कथन किया है कि अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण साक्षीगण जिनमें स्वयं परिवादी है, वे सभी पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी ऐसा गवाह परीक्षित नहीं करवाया है जिसके कथनों से यह साबित होता हो कि अभियुक्त कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 पर चालक रहते हुए उक्त वाहन को गफलत, लापरवाही पूर्वक, तेजगति से चलाकर परिवादी के भाई बनवारी की मोटरसाईकिल को टक्कर मारी हो और वक्त दुर्घटना अभियुक्त ही वाहन चालक हो। इस प्रकार पत्रावली पर कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है तथा अभियोजन पक्ष अपने प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

10. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रथम प्रश्नगत बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त महेन्द्र सिंह कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 को बतौर चालक तेजगति व गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था? इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 04 गवाहान् को परीक्षित कराया गया है जिनमें से प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू. 03 गिरधारीलाल जो प्रकरण में रिपोर्ट दर्जकर्ता परिवादी भी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं कथन किया है कि करीब चार–पांच साल पहले उसका बडा भाई मजदूरी करके शाम को मोटरसाईकिल से घर आ रहा था। जब वह नाडी के फाटक के पास पहुंचा तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। कौनसी गाडी से एक्सीडेंट हुआ उसे ध्यान नहीं, उसके भाई के सिर, पैर व शरीर के कइ जगह चोटें आयी थी। वहां मौजूद लोग उसके भाई को सोनी

अस्पताल लेकर गये जहां उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना हुई उस समय वह मजदूरी करहने गया था। उसने दुर्घटना होते नहीं देखी, उसे गाडी के नम्बर याद नहीं। यह गवाह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 के ए से बी भाग पुलिस को नहीं बताया। उसने थाने पर घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–6 दी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । रिपोर्ट किसने लिखी उसे ध्यान नहीं, उसने रिपोर्ट पर साइन थाने पर किये थे। नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 पर थाने पर साइन किये थे। अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उससे खाली कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर कराये थे तब उन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, खाली कागज थे। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 1 अमरसिंह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने कथन किया है कि उसके रिश्तेदार बनवारी किस पर जा रहा था किस गाडी ने टक्कर मारी एवं गाडी नम्बर क्या था ध्यान नहीं। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि उसने प्रदर्श पी–1 पुलिस बयान का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया व नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 उसके सामने नहीं बनाया। उसके थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये। इस सुझाव को गलत बताया कि उसके सामने दुर्घटना हुई हो। इसी प्रकार पीडब्ल्यू–2 प्रेमचन्द भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा कथन किया है कि वह दुर्घटना के बारे में नहीं जानता। बनवारी किस वाहन से जा रहा था, किस वाहन ने टक्कर मारी तथा क्या नम्बर थे पता नहीं। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्ख्श पी–4 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया जाना व इस तथ्य को गलत बताया कि उसने दुर्घटना देखी हो। अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पुलिस द्वारा उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये जाना कथन किया है। इसी प्रकार पीडब्ल्यू–4 राजवीर सिंह भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी, उसे पता नहीं कि किसी मोटरसाईकिल वाले के कार वाले ने टक्कर मारी हो। अभियोजन अध्किारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना व उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 नहीं बनाना व उसके खाली

कागजों पर हस्ताक्षर थाने पर कराये जाना कथन करते हुए इस तथ्य को गलत बताया कि उसने दुर्घटना होते हुए देखी हो।

11. उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य में प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पीडब्लू 03 गिरधारी लाल जो कि रिपोर्ट दर्जकर्ता परिवादी है, पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसके द्वारा अभियोजन कहानी की लेसमात्र भी ताईद नहीं की है एवं उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखना व गाडी के नम्बर उसे याद नहीं होना एवं घटना की रिपोर्ट थाने पर देना व रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई ध्यान नहीं होना व रिपोर्ट पर थाने पर हस्ताक्षर करना कथन किया है इस गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 पर भी थाने पर हस्ताक्षर करना कथन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की लेसमात्र भी ताईद नहीं की है। इसी प्रकार शेष गवाहन पीडब्लू–1 अमरसिंह ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना अपने सामने नहीं होना व पीडब्ल्यू–2 प्रेमचन्द ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना के बारे में नहीं जानना व बनवारी किस वाहन से जा रहा था व किस वाहन ने टक्कर मारी तथा क्या नम्बर थे पता नहीं होना कथन किया है तथा पीडब्ल्यू–4 ने भी अपनी साक्ष्य में दुर्घटना हाते नहीं देखना तथा उसे पता नहीं होना कि किसी मोटरसाईकिल वाले के कार वाले ने टक्कर मारी हो। इस प्रकार उक्त सभी गवाहन पक्षद्रोही घोषित हुए हैं जिन्होंने अभियोजन कहानी की लेसमात्र भी ताईद नहीं की है। इस प्रकार उक्त गवाहन ने प्रकरण में लिप्त कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 के चालक के रूप में अभियुक्त महेन्द्रसिंह का होना तथा उसकी लापरवाही व गफलत एवं तेजगति से वाहन को चलाने के सम्बंध में साक्ष्य नहीं दी है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रालेखिय साक्षय के समग्र विवेचन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त महेन्द्र सिंह का वक्त दुर्घटना प्रश्नगत कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 पर चालक रहते हुए उक्त वाहन को तेज गति एवं लापरवाही व उपेक्षा पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करने के सम्बंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है।

12. दुर्घटना के मामलों में न्यायिक दृष्टांत क्रिमीनल लॉ रिपोटर–1990 राजस्थान 494 संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह सिद्धांत अभिनिर्धारित

किया गया है कि सर्वप्रथम यह साबित करना होगा कि दुर्घटना के वक्त अभियुक्त ही वाहन चालक था। उसके बाद लापरवाही व उतावलेपन को सिद्ध करना होता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रकाश में प्रथमतः यह देखा जाना है कि आया वरवक्त दुर्घटना, दुर्घटना में लिप्त वाहन को आरोपी द्वारा बतौर चालक चलाया जा रहा था एवं तत्पश्चात् वाहन को उपेक्षा, उतावलेपन एवं लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने के बिन्दु पर विचार करना है। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन एवं विश्लेषण से इस प्रकरण में वक्त दुर्घटना दुर्घटनाकारक वाहन कार नम्बर आरजे 14 टीबी 9520 को मुलजिम महेन्द्र सिंह द्वारा बतौर चालक चलाया जा रहे होना प्रमाणित नहीं हुआ है और जब उसका चालक होना प्रमाणित नहीं होता तो उसकी कथित लापरवाही और लापरवाही के परिणामस्वरूप मजरूब के आई गम्भीर चोटों के कारण मृत्यु होने के सम्बंध में उन पर विश्लेषण निरर्थक हो जाता है। दुर्घटना में अभियुक्त का बतौर चालक होना ही स्थापित नहीं है, वहां उसकी लापरवाही एवं उपेक्षा के कारण कारित क्षति के लिए उसकी दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। अतः ऐसी सूरत में उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में एवं उक्त समग्र निष्कर्ष के परिणामस्वरूप इस प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र सिंह को धारा 279,304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं ध ाारा 134/187 एम.वीएक्ट के अपराध से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाना न्यायोचित पाता हूं।

आदेश

13. फलस्वरूप अभियुक्त महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र शिवदयाल सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–प्लाट नं0– 03, शिवविहार–बी, मीणावाला, थाना–करणीविहार, जयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा279,304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 134/187 एम.वीएक्ट के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपनी उपस्थिति बाबत् धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता

के तहत छः माह की अवधि के लिए 10,000 रूपये की राशि का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि का जमानतनामा पेश करें।

15. अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय में नियमित उपस्थित बाबत दिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन व कागजात सुपुर्दगीनामे पर दिये गये हैं, जो कि सुपुर्दगीदार के पास रहे बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा/जमानतनामा स्वतः निरस्त समझा जावे।

(रेणु कुमार मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,क्रम–3,
जयपुर जिला, जयपुर।

17. निर्णय/आदेश आज दिनांक 13 जनवरी 2023 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(रेणु कुमार मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,क्रम–3,
जयपुर जिला, जयपुर।